फाइल नं0-71-1002/15/2022

57/2023/।/296217/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 30 मार्च , 2023**

विषय:- केन्द्र सहायतित योजना "Strengthening and upgradation of State government medical colleges for starting new PG diseiplines and increasing PG seats (Phase-II)" के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ में एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-यू014017/146/2019-एमई-।।/8035777, दिनांक 25.08.2022 द्वारा केन्द्र सहायतित योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कालेजो में एम0बी0बी0एस0 (यू0जी0) सीटों की वृद्धि पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त योजना का फण्डिग पैटर्न 60:40 है। उक्त योजनान्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजो हेतु एम0बी0बी0एस0 की स्वीकृत सीटों की संख्या एवं भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र 0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	स्वीकृत सीटों की संख्या	अनुमोदित लागत (रू0 करोड़ में)
1	मेडिकल कालेज , झांसी	50 (EWS)	60.00
2	मेडिकल कालेज , कानपुर	60(EWS)	72.00
3	मेडिकल कालेज , मेरठ	100	120.00
4	मेडिकल कालेज , आगरा	72	86.39
5	मेडिकल कालेज , गोरखपुर	50(EWS)	60.00

2- इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/2022-23/466, दिनांक 28.10.2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत के सापेक्ष निम्नानुसार कॉलेजों हेतु प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए केन्द्रांश तथा राज्यांश के रूप में वित्तीय स्वीकृति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 करोड़ में)

क्र0 सं0	मेडिकल कालेज का नाम	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत	केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि	राज्यांश के रूप में अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (40 प्रतिशत)	कुल योग (केन्द्रांश+राज्यांश)
	2	3	4	5	6
1	राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी	60.00	9.94	6.63	16.57
2	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर	72.00	11.91	7.93	19.84
3	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ	120.00	19.87	13.25	33.12
4	राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा	86.39	14.30	9.53	23.83
5	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर	60.00	9.94	6.63	16.57
	योग-		**65.96**	**43.97**	**109.93**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. भारत सरकार के पत्र दिनांक 15.06.2022 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेजों में यू0जी0 सीटों की वृद्धि के लिए अवमुक्त की जा रही धनराशि को पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से एस0एन0ए0 खाते में हस्तांतरित की जायेगी। कालेजो को उक्त धनराशि का हस्तान्तरण शासन द्वारा दिये गये निर्देशो अनुमोदन के सापेक्ष किया जायेगा। /
2. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत मेडिकल कालेजों हेतु प्रस्तावित निर्माण कार्यों का डी0पी0आर0 कतिपय प्रधानाचार्यगण द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त उपकरण/फर्नीचर की सूची भी उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जिस कारण निर्माण कार्य एंव उपकरण हेतु धनराशि का आवंटन सम्भव नहीं है। निर्माण कार्य का मूल्यांकन पी0एफ0ए0डी0 से किये जाने के उपरांत धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किया जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. अत: भारत सरकार द्वारा स्वीकृत लागत के सापेक्ष अनुमन्य केन्द्रांश एंव राज्यांश की धनराशि को शासन द्वारा अग्रिम आदेशों के उपरांत ही व्यय की जायेगी।
6. भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय) 1) रुपये 84,93,00,000 (रुपये चौरासी करोड़ तिरानवे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.के) पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि .जी.60-रा.40/के(. मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 25,00,00,000 (रुपये पच्चीस करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031050127 एम0बी0बी0एस0 एवं पी.के) पाठ्ययक्रमों की सीटों में वृद्वि .जी.60-रा.40/के(. मानक मद 26 मशीनें और सज्जा उपकरण और संयंत्र/ के नामे डाला जायेगा।
4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-ई-3-642-दस-2022-23, दिनांक 30 मार्च, 2023 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

<u>संख्या/तद्दिनांक, उपरोक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ
5. अनु सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, मेरठ।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in